

गिरफ्तार आरोपियों के फोटो-वीडियो अब सोशल मीडिया और मीडिया को नहीं देगी पुलिस

जयपुर। राजस्थान में गिरफ्तार आरोपियों के फोटो और वीडियो अब पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मीडिया से साझा नहीं करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

एडीजी (क्राइम) हवा सिंह घुमरिया ने जयपुर व जोधपुर के पुलिस आयुक्तों तथा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के साथ मानवीय, सभ्य और विधिसम्मत व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। आरोपियों को अपमानजनक स्थिति में सर्वजनिक रूप से या मीडिया के सामने पेश नहीं किया जाएगा। आदेश में हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2026 के निर्णय का हवाला देते हुए आरोपियों को निजता के अधिकार को ग्राथमिकता देने की बात कही गई है। जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पुलिस किसी भी आरोपी के फोटो या वीडियो को अपने आधिकारिक अथवा अनौपचारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करेगी और न ही मीडिया को उपलब्ध कराएगी।

खोया पाया

मेरे (श्रीमती) ग्रेसी (पी.जे.) मकान 50/168 मानसरेवर जयपुर का Allotment Letter, अदेय प्रमाण पत्र, पश्चातवर्ती अंतिम व्रता के पंजीयन नियमितिकरण अदेय प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र कहीं खो गये हैं। मिलने पर सम्पर्क करें 9414261789

मेरे प्लॉट नं.250 अशोक विहार, जगतपुरा जयपुर मूल इकरारनामा विमला देवी से मांगूराम के नाम का कही गुम हो गया मिलने पर संपर्क: पिस्ता देवी 9772978932

प्लॉट नं.- ई-15 कृष्णा कृपा जगतपुरा जयपुर की मुल लीज - डीड वुड्डा कही खो गए हैं मिलने पर सूचित करें। 9413804290

महेश पारीक जी के नाम से एल.आई.सी. का अलॉटमेंट नं लेटर कही गुम हो गया है जिसका एकाईनाम नं.-7486 है। मिलने पर निम्न मोबाइल पर सूचित करें। 9414076395

नाम परिवर्तन

मैं रामकृष्ण शर्मा पुत्र श्री बिरदी चंद शर्मा निवासी रामसागर की धाणी पोस्ट बीलवा तहसील सांगानेर रामपुरा जयपुर-302022 (राज) मेरे ड्राफ्टयूट दसवीं की मार्कशीट में गलती से नाम रामकृष्ण शर्मा हो गया। इसे बदलकर मुझे रामकृष्ण करवाना चाहता हु। मुझे भविष्य में इसे ही जाना जाा।

मैंने अपना नाम Mohammed Azazuddin & Azazuddin से बदलकर Ajajudeen पुत्र अब्दुल करीम रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये।
निसीर- 3589, नैइड राव जी का रास्ता, तीसरी चौराहा, चांदबील बाजार, जयपुर

मैं विद्याचाल चौहान पुत्र सेना नंबर 15164290L हवलदार (Gnr) राम दुलार चौहान, ग्राम-बड़नपुर , पो-गुरेनी, तहसील- जखनियाँ, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश -275205 मेरे बेटे के सेवा अभिलेख में मेरा नाम बिन्ध्याचाल चौहान दर्ज है । जबकि मेरा सही नाम विद्याचल चौहान है । एम मेरा जन्मतिथि 01-07-1965 है । जो की गलत है । सही जन्म तिथि 01-01-1953 है।

मैं जमुंदरी देवी माता सेवा नंबर 15164290L हवलदार (Gnr) राम दुलार चौहान, ग्राम- बड़नपुर , पो- गुरेनी, तहसील- जखनियाँ, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश -275205 मेरे बेटे के सेवा अभिलेख में मेरा नाम जमुनादरी देवी दर्ज है। जोकि गलत है। जबकि मेरा सही नाम जमुंदरी देवी है। एम मेरी जन्मतिथि 01-01-1955 है।

मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम वारिस खान VARIS KHAN है एवं मेरे पासपोर्ट में नाम है। दोनों नाम मेरे ही हैं अब मुझे VARISH KHAN से ही पुकारा जावे। वारिस खान VARIS KHAN पुत्र अलाउद्दीन, निवासी कानसीर, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

मैं दिलशाद अहमद, निवासी 1/130 आजाद नगर घाट की घुनी, जवाहर नगर, जयपुर, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे बेटे (Shezan Ahmed) के डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम गलती से दिलशाह खान लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम Dilshad Ahmed है। जैसा कि राजस्थान गजट में दर्ज है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

एसओजी ने सत्य साईं यूनिवर्सिटी सहित पांच ठिकानों पर मारे छापे

पीटीआई भर्ती-2०22 में फर्जी डिग्रियों से नौकरी हासिल करने का मामला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में फर्जी डिग्रियों के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने मध्यप्रदेश के भोपाल और सीहोर में बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी की टीमों ने बुधवार को श्रीसत्य साईं यूनिवर्सिटी के कैंपस सहित पांच ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही।

एसओजी के अनुसार पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित 67 अभ्यर्थियों के पास श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की बीपीएड डिग्री पाई गई है। इनमें से 40 अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय किसी अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री दर्शाई थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यसाईं यूनिवर्सिटी की डिग्री प्रस्तुत की। इन सभी 67 अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड जब्त कर जांच की जा रही है।

एसओजी के डीआईजी परिस

■ एसओजी के अनुसार पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित 67 अभ्यर्थियों के पास श्रीसत्यसाईं यूनिवर्सिटी की बीपीएड डिग्री पाई गई है। इनमें से 40 अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय किसी अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री दर्शाई थी, परंतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्य साईं यूनिवर्सिटी की डिग्री प्रस्तुत की। इन सभी 67 अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड जब्त कर जांच की जा रही है।

■ एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री की शिकायतों पर अब तक करीब 300 लोगों के खिलाफ पांच अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं।

देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री की शिकायतों पर अब तक करीब 300 लोगों के खिलाफ पांच अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। जांच में सामने आया है कि सत्यसाईं यूनिवर्सिटी की ओर से बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां जारी की गईं। यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में गंभीर हेराफेरी पाई गई

है।इसी कड़ी में एसओजी ने जयपुर कोर्ट से सर्व वारंट लेकर लगभग 4० अधिकारियों की टीम को मध्यप्रदेश भेजा। स्थानीय पुलिस की सहायता से टीमों ने सीहोर स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस, भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित कपूर हाउस, यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सीए के कार्यालय व निवास तथा गांधीनगर स्थित आरकेडीए

परिसर में छापेमारी की। फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग विशेषज्ञों की मदद से यूनिवर्सिटी के एडमिशन, फीस और परीक्षा से जुड़े डाटा की भी जांच की जा रही है।

एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि कई कॉलेजों ने अधिकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया के बिना ही बीपीएड कोर्स में प्रवेश दे दिए। कुछ कॉलेजों में बिना मान्यता के कोर्स संचालित किए गए।

ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया गया और कई मामलों में बैक डेट में डिग्रियां जारी की गईं।

जांच में यह भी सामने आया है कि कई अभ्यर्थी कॉलेज गए बिना ही डिग्री हासिल कर गए। पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में राजगढ़ (चूरू) की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है। अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की जांच एसओजी द्वारा जारी है।

सरकार की नीति और योजनाओं की आमजन तक पहुंच के लिए प्रभावी संप्रेषण जरूरी : मुख्य सचिव



मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में सभी विभागों के आला-अधिकारियों के साथ आयोजित कार्यशाला “रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म” को संबोधित किया।

एवं जनसम्पर्क विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। सचिव, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संजय जाजू ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रभावी संप्रेषण के अनुभवों को साझा करते हुए आभजनओं पहुंचाई जा रही है। विभाग द्वारा हाल ही आर्मा डे परेड, रोजगार कैलेंडर और रोड सेफ्टी वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और शेयर भी किया। राज्य सरकार के निर्देशन में यह कार्यशाला केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं राज्य सूचना

विज्ञापन अभियान जीएसटी बचत उत्सव सलत और आसान शब्दों में था, इसलिए आम लोगों को बहुत रास आया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बूटी और धामक खबरों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के टूल्स का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक अनुपमा भटनागर में इफेक्टिव गवर्नेमेंट कान्युनिकेशन पर प्रस्तुति करने देते हुए केंद्र सरकार द्वारा

चयन प्रक्रिया जारी रखने पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य टीबी भर्ती-2०21 की चयन प्रक्रिया आगे जारी रखने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में आरपीएससी से जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा कि याचिका में दिया जाने वाला फैसला भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाया जाए। जस्टिस समीर जैन की

एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. अमित शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में वरिष्ठ अधिकवता आरके माथुर ने बताया कि आरपीएससी ने 27 नवंबर, 2०21 को सहायक आचार्य टीबी एंड चेयर के पदों पर भर्ती निकाली थी। विज्ञापन के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो केवल साक्षात्कार के बजाए लिखित परीक्षा भी होगी।

अमित शाह ने किया पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हास्पिटल का लोकार्पण

पतंजलि के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो सकेंगे हार्ट, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी

हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ की ओर से संचालित विश्व के प्रथम इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम तथा योग, आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के समन्वय का वैश्विक केंद्र पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया।

उन्होंने स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कहा कि यह हॉस्पिटल विश्व का प्रथम हाइब्रिड अस्पताल बन गया है। देश और दुनिया के अस्पताल अब इसका अनुसरण करेंगे। पतंजलि का यह अस्पताल समस्त

■ **स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा “पतंजलि गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन व गैर जरूरी टेस्टिंग का विरोधी है।”**

भारत के नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हास्पिटल का निरीक्षण भी किया और इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की इस पहल को सराहा।

उद्घाटन अवसर पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रामदेव ने कहा कि यहाँ हम १० से ११ प्रतिशत लोगों को योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षट्कर्म, पंच महाभूतचिकित्सा, मेडिकेटिड वाटर व फूड, उपवास, उपासना से ठीक करेंगे। कहा कि बीमारियों के मुख्य कारण-स्ट्रेस, इम्फ्लामेशन तथा शरीर का अशुद्धिकरण हैं। पतंजलि ने शिरोधारा, अक्षीं तर्पण, कर्ण पूर्ण, नस्य, अवयं, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरेपी, 1०० से ज्यादा प्रकार की बस्ती आदि से शरीर का शुद्धिकरण करते हैं।

स्वामी रामदेव ने कहा कि हमने इस हॉस्पिटल

के कार्डियोलॉजी विभाग में हृदय रोगियों के लिए एंजियोप्लास्टी, बायपास सर्जरी व पेसमेकर की व्यवस्था की है लेकिन हमारा प्रयास है कि १० से ११ प्रतिशत लोगों को इनकी आवश्यकता न पड़े। यहाँ हम उन्हीं की सर्जरी करेंगे, उन्हीं को पेसमेकर व स्टेट लगायेंगे जो अपने को किसी सूचित नहीं कर पा रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी के जूस का प्रयोग कर इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाया जा सके, हार्ट ब्लॉकिज को प्राकृतिक तरीकों से रिवर्स किया जा सके। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्यूमा सेवार्ड संचालित रहेगा। इसमें 24 घंटे कार्यरत आधुनिक इमरजेंसी विभाग, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, ट्यूमा केयर यूनिट, हाई-एंड एवं वेंटिलेटेड सपोर्ट, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज होंगे सरस्वती वंदन, युवा संवाद और मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक में शामिल

विद्यार्थियों को देंगे निःशुल्क साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर समेत कई सौगातें

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जयपुर के कांसमें कॉलेज में सरस्वती वंदन, युवा संवाद और मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) में शिरकत करेंगे। इस दौरान शर्मा विद्यार्थियों को कई सौगातें देंगे। कार्यक्रम में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। साथ ही, विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इस दौरान राज्यभर में लाखों विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना की जाएगी। प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

में मेगा पीटीएम का यह आयोजन अब तक का सबसे बड़ा शैक्षिक सहभागिता कार्यक्रम होगा। इसमें अभिभावक अपने

बच्चों के शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास से संबंधित जानकारी शिक्षकों से साझा मंच पर प्राप्त करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हाल ही में, 1 लाख भर्तियों का परीक्षा कैलेण्डर जारी किया गया है, वहीं अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी जा चुकी है। साथ ही, राज्य सरकार ने युवा नीति-2०26, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की एवं रोजगार नीति-2०26 भी जारी की है।

भ्रष्ट और अनुशासनहीन लोक सेवकों के विरुद्ध मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सख्त कार्रवाई

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं विभागीय जांच के 24 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की है।

शर्मा ने लोक सेवकों द्वारा पद एवं शक्तियों का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने के दो प्रकरणों में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध धारा-1१ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2०18 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के ०3 अधिकारियों द्वारा संवेदक के साथ मिली-भगत कर सड़क निर्माण कार्य में अवैध लाभ पहुंचाने के आरोप में धारा 13 (1) (डी) एवं धारा 13 (2) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।

कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजकीय भूमि की निजी व्यक्ति के पक्ष में खतेदारी प्रदान करने की गंभीर शिकायत पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध

धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958, के तहत संचालित वृहद शांति के प्रकरणों में 4 अधिकारियों द्वारा की गई नियम विरुद्ध कार्यवाही करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर दण्डित किया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध संचालित 5 जांच प्रकरणों में पेंशन रोके जाने की शांति लगाई गई है, जिसमें दो सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने से राज्य सरकार को कांति भारी आर्थिक हानि एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने के दृष्टिगत शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का आदेश दिया गया है।

वहीं, सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध 4 प्रकरणों में प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव राज्यपाल को प्रेषित किए गए हैं।

सीसीए नियम-16 में विभिन्न आरोपित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत युनियनलोकन याचिकाओं में से 4 याचिकाएं खासिज की गई हैं तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के एक प्रकरण

खाली प्लॉट की खरीद पर लगाया जीएसटी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बगर विस्तार फेज द्वितीय में नीलामी के बाद सफल बोलीदाता के पक्ष में डिमांड लेटर जारी करने के दौरान संबंधित प्लॉट पर जीएसटी लगाने पर रीको को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता जीएसटी राशि को छोड़कर मूल राशि जमा करता है तो ई-नीलामी को रद्द नहीं किया जाए। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आशीष गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिकवता अक्षित शर्मा ने अदालत को बताया कि रीको ने बारू विस्तार फेज द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट बेचान के लिए ई-नीलामी आयोजित की थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया और सबसे अधिक ऊंची बोली लगाने के बाद उसे सफल घोषित किया गया। वहीं गए 3 सितंबर को उसे शेष राशि जमा कराने का डिमांड नोटिस जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि इस डिमांड नोटिस में रीको ने मूल राशि के साथ-साथ जीएसटी राशि भी जमा करारो को कहा।

कार्यालय उपायुक्त (विद्यार्थ जेन) नरन निराम जयपुर (कानूनी) के विरुद्ध राज्य सरकार के विरुद्ध
क्रमांक- एल-65 (1) दि 03/07/2025 दि 22/05/2025 दिनांक- 22.01.26
सार्वजनिक सूचना
मुख्य व 3, कल्याण कला, कौटारिया जयपुर (विद्यार्थी शिक्षकों) गृह नि.स.रा) का बीमारी निमोटी देवी लाली की रामगोपाल के नाम से दिनांक 01.05.1966 केबच 500 अर्थात का नुन आदेश दिया गया था। प्रकरण के अंतर्गत जीएसटी का नुन प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्रकरण के अंतर्गत पर सूचित दिनांक 23.03.2013 को बी रान लाल गुर्जर के पक्ष में कर दिया। अमेरिक बी रान लाल गुर्जर द्वारा भुंड 3, 3 कल्याण कला, कौटारिया जयपुर केबच 500 अर्थात का बीमारी देवी लाली के पक्ष में जारी दिने जाने हुए आदेश दिया गया है। इस आदेश विरुद्ध बीमारी, सत्या, एवं, कानूनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में आयोगशास्त्रालोक के कार्यलय में प्रस्तुत करें। अन्याय निर्धारित अति सामान्य के दिवस निर्धारित प्रमाणित रूप से दर्ज नहीं है। प्र